राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंकः 4 सोलहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का पहला दिवस संख्याः 1

सोमवार,

1 सितम्बर 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्नाम् पुलकित यामिनीम्।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्।
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारें।)

श्री अध्यक्षः विराजिए, विराजिए। राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश। विराजिए, आसन पांवों पर है, विराजिए।

संदेश

राज्यपाल महोदय से नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्याक -35) के सम्बन्ध में प्राप्त संदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अनुसरण में विधान सभा द्वारा पारित नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्याक -35) पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ हैः-

....(व्यवधान).... आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर है। यह सब बंद कीजिए, नो, नोट अलाउड, कोई भी तख्ती या पेम्फलेट यहां नहीं चल सकते, बैठिए। सदन की गरिमा बनाये

कार्यवाही वृत्तान्त में प्रयुक्त संकेताक्षर

+++: शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

000: अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

रखना आपका कर्तव्य है। सदन की गरिमा गिराओगे, तो उससे साख आपकी भी गिरेगी। मैं आप सब से एक बार अपील कर रहा हूं कि विराजिए और यह पोस्टर और यह सब बंद कीजिए, नहीं तो मुझे नियमानुसार कदम उठाने पडेंगे। विराजिए, विराजिए।

"यतः। मैंने नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्याक 35) के प्रावधानों का अध्ययन किया, जो कि 02 अगस्त, 2023 को राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा नाथद्वारा मंदिर अधिनियम, 1959 को और संशोधित करने के लिए विधेयक निर्मित किया जाना था। उक्त विधेयक को तत्कालीन माननीय राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु रक्षित रखा गया।

माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु रक्षित उक्त विधेयक पर राज्य सरकार द्वारा विधेयक को प्रत्याहरित (Withdraw) लिये जाने के निम्न आधार प्रस्तुत किए हैं:- ..."

मैं आप सबसे पुनः एक बार अपील कर रहा हूं कि यह मर्यादा के खिलाफ है, संसदीय परम्पराओं के खिलाफ है। राजस्थान विधान सभा की बहुत गरिमा रही है, इसकी गरिमा बनाये रखिए। विपक्ष के नेता, आप तो समझदार हैं, आपसे कई बार बात हुई है कि सदन की गरिमा बनाये रखने में सहयोग दें, सहयोग दें, ताकि सदन की कार्यवाही चल सके। मैं एक बार पुनः अपील कर रहा हूं विराजिए।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों एवं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारें।)

मैं दोनों पक्षों से अपील कर रहा हूं अपनी-अपनी जगहों पर विराजें। सदन की गरिमा को ठेस न पहुंचाये। मैं विपक्ष से भी अपील करूंगा कि विराजो और आपसे भी अपील कर रहा हूं कि विराजिए। दोनों विराजिए, विराजिए। बिना अनुमति के कोई अंकित नहीं होगा। बैठिए, बैठिए।

"...नाथद्वारा मंदिर अधिनियम, 1959 में प्रस्तावित संशोधन से राज्य सरकार की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। मंदिर मण्डल पर श्री तिलकायत जी के ही वंशजों को एकाधिकार हो जाता है। प्रस्तावित संशोधन से आम वैष्णवजन को कोई लाभ होता नहीं दिखता, बल्कि वंशानुगत आधिपत्य स्थापित होता है, जो अन्ततः राज्य सरकार की छवि के प्रतिकूल है। राज्य सरकार का नियंत्रण कमजोर होने से कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने एवं वैष्णवजन की सुविधाएं विकसित करने में कठिनाईयों का ही सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त बाहरी राज्य की सम्पत्तियों को मंदिर की परिभाषा में शामिल करने से अनावश्यक न्यायिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

"इसलिए, अब, मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परन्तुक के अनुसरण में, राजस्थान विधानसभा को उक्त विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अध्यधीन पुनर्विचार के लिए नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2023 को एतद्वारा लौटाता

हूँ।"

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। प्रमुख सचिव। विराजिए, शब्दों की भी गरिमा रखिए, शब्दों की गरिमा रखिए। आप विधायक हैं, 8 करोड़ जनता आपको देख रही है, विधायक की गरिमा मत गिराइए।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

प्रमुख सचिवः अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :-

1. राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024,
2. राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2025,
3. राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025,
4. राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025,
5. राजस्थान वित्त विधेयक, 2025,
6. राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025,
7. भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025,
8. बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025,
9. राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025, व
10. राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025 ।

श्री अध्यक्षः सदन की मेज पर रखे जाने वाले अध्यादेश। श्री गजेन्द्र सिंह जी।

अध्यादेश

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश संख्या 1)

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश संख्या 1) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्षः ....(व्यवधान).... कुछ तो ख्याल रखो, कुछ तो गरिमा रखो। आपको जनता ने चुना है, यहां विपक्ष के नेता हो। शब्दों पर नियंत्रण रखो, किसके लिये क्या कह रहे हो। यह आम सभा नहीं है, यह मार्केट नहीं है, यह चौराहा नहीं है, यह सदन का सत्र है, विधान सभा का हॉल है। विराजिए, विराजिए।

सदस्य की सदस्यता की समाप्ति

कंवर लाल (अंता), श्री, की दोषसिद्धि पर निरर्हता (disqualification) व फलस्वरूप राजस्थान विधान सभा में एक स्थान की रिक्ति

समस्त माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है श्री कंवर लाल, निर्वाचन क्षेत्र संख्या

193 अंता, जिला बारां से 16वीं राजस्थान विधान सभा के लिये निर्वाचित सदस्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(e) एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) में वर्णित प्रावधानानुसार राजस्थान विधान सभा की सदस्यता से दोषसिद्धि की दिनांक से निरर्हित (Disqualify) हो गये हैं। इसके फलस्वरूप राजस्थान विधान सभा में एक स्थान अंता (193), जिला बारां रिक्त हो गया है। इस आशय की अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 23 मई, 2025 को करवा दिया गया है।

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। डा. प्रेमचन्द बैरवा।

समिति प्रतिवेदनः प्रवर

राजस्थान कोचिंग सेन्टर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पर

गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कोचिंग सेन्टर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्षः ....(व्यवधान).... विराजिए। यह शोभा नहीं देता है, आज पहला दिन है इसलिए मैं सहन कर रहा हूं, फिर मेरे को मजबूर मत करना कि मैं कठोर कदम उठाऊं।

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन विधेयक) 2025, श्री गजेन्द्र सिंह।

विधायी कार्यः विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन विधेयक) 2025

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाती है। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्षः प्रभारी मंत्री, प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अंतर्गत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया

के नियम 63 (1) के अंतर्गत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश संख्या 1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री सुमित गोदारा।

msk/rtm/01.09.25/1110/1b

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025। सुश्री दिया कुमारी।

राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करती हूं।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्य, शोकाभिव्यक्ति पर तो कुछ तो अपने अंतर्मन से स्वीकार करें। अपने स्थान पर विराजें। हद हो गयी, नहीं, कोई अंकित नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्षः नो, कोई अंकित नहीं। मैंने आपको बैठने के लिए बहुत कह लिया। अब आप विराजें। शोकाभिव्यक्ति।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

(भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारे)

श्री अध्यक्षः नो, कोई अनुमति नहीं है। अंकित नहीं। शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत नागालैण्ड के पूर्व राज्यपाल श्री ला. गणेसन, बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक, ...(व्यवधान)... कुछ तो अपने अंतर्मन से स्वीकार करें। आप बैठें। आप बैठिये। नो, विपक्ष के नेता हो तो क्या हुआ? आपको नियमों की अवहेलना करने की अनुमति नहीं मिलती। विराजिये।

शोकाभिव्यक्ति है, विराजें। इनको शोक प्रकट नहीं करना, अपन तो करेंगे। माननीय सदस्य, शोकाभिव्यक्ति पर अपने स्थान पर बैठिये। आप तो बैठो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्षः नो, कुछ नहीं सुनूंगा। ...(व्यवधान)... आज कुछ नहीं सुनूंगा। आपने मेरी अवहेलना की है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। माननीय सदस्य, विराजें। समय पर नियमानुसार सब कार्यवाही करूंगा।

शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत नागालैण्ड के पूर्व राज्यपाल श्री ला. गणेसन, बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक, झारखंड के पूर्व मुख्य मंत्री श्री शिबू सोरेन, केरल के पूर्व मुख्य मंत्री श्री वी.एस. अच्युतानंदन, गुजरात के पूर्व मुख्य मंत्री श्री विजय रूपाणी, पूर्व सांसद डॉ. गिरिजा व्यास एवं कर्नल सोनाराम, पूर्व मंत्री श्रीमती मदन कौर, ...(व्यवधान)... कोई नहीं बोलेगा। ...पूर्व राज्य मंत्री श्री सोहन सिंह और इस सदन के पूर्व सदस्य श्री किशनाराम नाई के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

ला.गणेसन, श्री, पूर्व राज्यपाल (मणिपुर व नागालैण्ड)

नागालैण्ड के पूर्व राज्यपाल श्री ला. गणेसन का जन्म 16 फरवरी, 1945 को तमिलनाडु के तंजावुर में हुआ। आपने वीर राघव हाई स्कूल, तंजावुर से शिक्षा प्राप्त की।

श्री ला. गणेसन वर्ष 2016 में राज्य सभा के लिए मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निर्वाचित हुए। राज्य सभा में आप विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। श्री गणेसन अगस्त, 2021 से फरवरी 2023 तक मणिपुर के राज्यपाल रहे। इस दौरान जुलाई से नवम्बर, 2022 तक आपके पास पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार रहा। श्री गणेसन फरवरी, 2023 को नागालैण्ड के राज्यपाल बने तथा मृत्यु पर्यन्त इस पद पर आसीन रहे।

साहित्य में रुचि रखने वाले श्री गणेसन की 'हिन्दुत्व' शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित हुई। आप तमिलनाडु की पत्रिका 'ओरे नाडु (एक राष्ट्र)' के सम्पादक रहे तथा विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में आपके आलेख प्रकाशित हुए। आप तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सहित पार्टी के विभिन्न पदों पर भी रहे।

श्री ला. गणेसन का दिनांक 15 अगस्त, 2025 को निधन हो गया।

सत्यपाल मलिक, श्री, पूर्व राज्यपाल (बिहार, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, गोवा व मेघालय)

बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई, 1946 को उत्तर प्रदेश के हिसावदा ग्राम में हुआ। आपने बी.एससी एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री सत्यपाल मलिक उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा नौवीं लोक सभा के सदस्य रहे। आप दो बार राज्य सभा के सदस्य भी रहे। अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान आप उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा संसद की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। श्री मलिक केन्द्रीय सरकार में संसदीय कार्य एवं पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे। कुशल प्रशासक रहे श्री मलिक बिहार, ओडिशा, जम्मू एवं कश्मीर, गोवा एवं मेघालय के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे।

श्री सत्यपाल मलिक का दिनांक 5 अगस्त, 2025 को निधन हो गया।

शिबू सोरेन, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री (झारखंड)

झारखंड के पूर्व मुख्य मंत्री श्री शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी, 1944 को झारखंड के वर्तमान रामगढ़ जिले के नेमरा में हुआ। आपने सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री शिबू सोरेन लोक सभा के लिए आठ बार सदस्य निर्वाचित हुए। आप वर्तमान में तीसरी बार राज्य सभा के सदस्य चुने गये। आप संसद के दोनों सदनों की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। संसद के कार्यकाल के दौरान आप केन्द्रीय सरकार में कोयला मंत्रालय के केबिनेट मंत्री रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री सोरेन वर्ष 2005 से 2010 के मध्य तीन बार झारखंड के मुख्य मंत्री रहे। 'गुरुजी' के नाम से प्रख्यात श्री सोरेन ने सामाजिक कल्याण, आदिवासी समुदाय के उत्थान एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया।

प्रख्यात आदिवासी नेता रहे श्री सोरेन समाज में 'दिशोम गुरु' के नाम से लोकप्रिय रहे। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे तथा आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिये आपने कई बार जेल यात्रा भी की।

श्री शिबू सोरेन का दिनांक 4 अगस्त, 2025 को निधन हो गया।

वी.एस. अच्युतानंदन, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री (केरल)

केरल के पूर्व मुख्य मंत्री श्री वी.एस. अच्युतानंदन का जन्म 20 अक्टूबर, 1923 को पुन्नप्रा में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री वी.एस. अच्युतानंदन सात बार केरल विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विभिन्न समितियों में सदस्य रहे। आप तीन बार विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। आप वर्ष 2006 में केरल के मुख्य मंत्री बने तथा राज्य में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में कार्य किया।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री अच्युतानंदन केरल प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे। साहित्य में रुचि रखने वाले श्री अच्युतानंदन मलयालय, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा के जानकार थे। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

श्री वी.एस. अच्युतानंदन का दिनांक 21 जुलाई, 2025 को निधन हो गया।

विजय रूपाणी, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री (गुजरात)

गुजरात के पूर्व मुख्य मंत्री श्री विजय रूपाणी का जन्म 2 अगस्त, 1956 को तत्कालीन बर्मा के रंगून में हुआ। आपने सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से बी.ए. व एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री विजय रूपाणी जुलाई, 2006 से जुलाई, 2012 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। राज्य सभा के कार्यकाल के दौरान आप विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। श्री रूपाणी दो बार गुजरात विधान सभा के सदस्य रहे तथा गुजरात सरकार में परिवहन, श्रम एवं रोजगार तथा जल आपूर्ति विभाग के मंत्री रहे। आप 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्य मंत्री रहे। आपने गुजरात के चहुंमुखी विकास के लिये कई परियोजनाएं प्रारम्भ कीं। आपने 'सौनो साथ सौनो विकास' के मंत्र के साथ समावेशी विकास पर जोर दिया।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री रूपाणी गुजरात म्यूनिसिपल फाइनेंस बोर्ड तथा गुजरात पर्यटन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रहे। आप राजकोट नगर निगम के मेयर भी रहे। आपने भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों के दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया।

श्री विजय रूपाणी का एयर इंडिया विमान हादसे में दिनांक 12 जून, 2025 को निधन हो गया।

mdp/rtm/01.09.25/11:20/1c

गिरिजा व्यास, डॉ., पूर्व केन्द्रीय मंत्री व पूर्व राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार

पूर्व सांसद डॉ. गिरिजा व्यास का जन्म 8 जुलाई, 1946 को नाथद्वारा में हुआ। आपने एम.ए तथा पीएच.डी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

डॉ. गिरिजा व्यास आठवीं राजस्थान विधान सभा में उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) की विधायक निर्वाचित हुईं। विधान सभा में आप प्राक्कलन समिति क' एवं ख' की सदस्य रहीं। आप फरवरी, 1988 से मार्च, 1990 तक विभिन्न विभागों की राज्य मंत्री रहीं। इस दौरान आपके पास पर्यटन, महिला एवं बाल विकास, संस्कृत शिक्षा तथा पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभागों का स्वतंत्र प्रभार रहा।

डॉ. व्यास दसवीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं एवं पन्द्रहवीं लोक सभा की सदस्य रहीं। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप विभिन्न मंत्रालयों की समितियों की सदस्य रहीं। आप केन्द्रीय सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की उप मंत्री रहीं तथा आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की मंत्री भी रहीं।

अपने सार्वजनिक जीवन में डॉ. व्यास दो बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं। सभापति तालिका की सदस्य रहीं डॉ. व्यास कांग्रेस संसदीय समिति की मुख्य सचेतक भी रहीं। कांग्रेस से सम्बद्ध रही डॉ. व्यास ने दल के विभिन्न पदों के दायित्वों का कुशलता से निर्वहन किया। महिला उत्थान के लिये सदैव प्रयासरत रही डॉ. व्यास ने विदेशों में आयोजित

सम्मेलन, बैठकों एवं सेमिनार में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहीं डॉ. व्यास उदयपुर विश्वविद्यालय में एसोसियेट प्रोफेसर, प्रोफेसर एवं दर्शनशात्र विभाग की प्रमुख रहीं। आपने विदेशी विश्वविद्यालयों की शैक्षिक गतिविधियों में भी सक्रियता से भाग लिया।

साहित्य में रुचि रखने वाली डॉ. व्यास ने कविताएं एवं उर्दू में गजलों का लेखन भी किया। उर्दू गजलों का संग्रह एहसास', अंग्रेजी कविताओं का संग्रह नोस्टलजिया', हिन्दी एवं उर्दू भाषा में सीप, समन्दर और मोती' सहित अन्य कई पुस्तकों का लेखन किया। आपके आलेख देश-विदेश की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी डॉ. गिरिजा व्यास के निधन से राजनैतिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है।

डॉ. गिरिजा व्यास का दिनांक 1 मई, 2025 को निधन हो गया।

सोनाराम, कर्नल, पूर्व सांसद एवं पूर्व सदस्य

पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम का जन्म 31 मार्च, 1945 को जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में हुआ। आपने बी.ई. की उपाधि प्राप्त की। आपको इन्स्टीट्युट ऑफ इन्जीनियर्स से फेलोशिप प्राप्त हुई।

कर्नल सोनाराम ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं एवं सोलहवीं लोक सभा के सदस्य रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप विभिन्न समितियों से सदस्य रहे। आप तेरहवीं राजस्थान विधान सभा के लिये बायतु निर्वाचन क्षेत्र से इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति के सदस्य रहे।

भारतीय सेना में लगभग 26 वर्षों तक विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं देने वाले कर्नल सोनाराम को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिये राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मैडल प्रदान किया गया। आपको थल सेना प्रमुख एवं वायु सेना प्रमुख द्वारा भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप परिसीमन आयोग की समिति के सदस्य तथा इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर के अध्यक्ष रहे। इण्डियन नेशनल कांग्रेस से सम्बद्ध रहे कर्नल सोनाराम ने पार्टी के विभिन्न पदों के दायित्वों का निर्वहन किया। कृषकों के उत्थान के लिये समर्पित रहे कर्नल सोनाराम ने कृषि क्षेत्र में उन्नत कृषि को प्रोत्साहन दिया। आपकी खेलों में भी रुचि रही तथा युवावस्था में आपने कई पुरस्कार प्राप्त किये।

कर्नल सोनाराम का दिनांक 20 अगस्त, 2025 को निधन हो गया।

मदन कौर, श्रीमती, पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री श्रीमती मदन कौर का जन्म 13 सितम्बर, 1935 को जोधपुर में हुआ। आपने एम.ए. (अर्थशास्त्र) की उपाधि प्राप्त की।

श्रीमती मदन कौर चौथी, पांचवीं, छठी राजस्थान विधान सभा में पचपदरा तथा नौंवी राजस्थान विधान सभा में गुढ़ामालानी निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुईं। आप चौथी, पाँचवीं एवं छठी विधान सभा में कांग्रेस तथा नौंवी विधान सभा में जनता दल की विधायक रहीं। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति क', जन लेखा समिति,

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति तथा महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति की सदस्य रहीं। आप मई, 1990 से अक्टूबर, 1990 तक राज्य सरकार में पर्यावरण एवं वन विभाग की मंत्री रहीं।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्रीमती कौर पंचायत समिति, बालेश्वर; जिला परिषद्, बाड़मेर की सदस्य तथा समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष रहीं। आप समाज कल्याण परियोजना खंड, जोधपुर की अध्यक्ष भी रहीं। महिला शिक्षा के लिये सदैव प्रयासरत रहीं श्रीमती कौर ने नशाबंदी, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिये कार्य किया।

श्रीमती मदन कौर का दिनांक 5 अगस्त, 2025 को निधन हो गया।

सोहन सिंह, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री श्री सोहन सिंह का जन्म 22 अगस्त, 1944 को अजमेर के नसीराबाद में हुआ। आपने सनातन धर्म हाई स्कूल, ब्यावर से माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री सोहन सिंह आठवीं राजस्थान विधान सभा में मसूदा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति एवं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। आप दिसम्बर, 1989 से मार्च, 1990 तक राज्य सरकार में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री रहे। इस दौरान आपके पास भू-जल विभाग, मत्स्य पालन विभाग एवं पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग का कार्यभार रहा। आप इन्दिरा गांधी नहर विभाग के राज्य मंत्री भी रहे।

समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री सिंह राजस्थान चौहान महासभा के महामंत्री रहे। आप राज्य स्तरीय बाल बोर्ड के सदस्य तथा मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे।

श्री सोहन सिंह का दिनांक 12 अप्रैल, 2025 को निधन हो गया।

किशनाराम नाई, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री किशनाराम नाई का जन्म दिनांक 10 दिसम्बर, 1935 को बीकानेर के मोमासर में हुआ। आपने मिडल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री किशनाराम नाई नौंवी, दसवीं एवं चौदहवीं राजस्थान विधान सभा में डूंगरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, पुस्तकालय समिति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, प्राक्कलन समिति ख' तथा सामान्य प्रयोजनों सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। आप दो बार पुस्तकालय समिति के सभापति भी रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री किशनाराम नाई लगभग तीन दशक तक डूंगरगढ़ नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। आप पश्चिम रेलवे सलाहकार समिति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंच के सदस्य एवं भारत स्काउट गाइड, डूंगरगढ़ के उपाध्यक्ष भी रहे। समाज कल्याण के लिये समर्पित रहे श्री नाई राजस्थान प्रान्तीय सैन समाज के अध्यक्ष रहे तथा आपकी सेवाओं के लिए सैन रत्न' से सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध रहे श्री किशनाराम नाई ने पार्टी के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दीं।

श्री किशनाराम नाई का दिनांक 7 अप्रैल, 2025 को निधन हो गया।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

पहलगाम (जम्मू-कश्मीर) में आतंकवादी हमले के मृतक

दिनांक 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम के निकट बैसरन घाटी में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर हमला किया गया। इस कायराना हमले में 25 से अधिक पर्यटकों की मृत्यु हो गयी।

अहमदाबाद (गुजरात) में विमान दुर्घटना के मृतक

दिनांक 12 जून, 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 171 उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों में दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। इस विमान हादसे में सवार 260 यात्रियों एवं क्रू मैम्बर्स की मौत हो गयी।

धराली (उत्तराखण्ड), हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर में प्राकृतिक आपदा के मृतक

दिनांक 5 अगस्त, 2025 को उत्तराखण्ड के धराली में, दिनांक 14 अगस्त, 2025 को हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तथा जम्मू-कश्मीर के जिलों में हुई भारी बारिश के कारण हुए भू-स्खलन में कई लोगों की मृत्यु हो गयी तथा अनेक लापता हो गये।

यह सदन पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घोर निंदा करता है तथा इस हमले, विमान दुर्घटना एवं प्राकृतिक आपदाओं में मारे गये लोगों के प्रति शोक प्रकट करता है।

Ans/rtm 11.30 1d 01.09.2025

...(व्यवधान)... माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनंतर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।)

सदन की कार्यवाही दिनांक 3 सितम्बर, 2025 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 11:31 बजे, बुधवार, दिनांक 3 सितम्बर 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)